<u>प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना</u>

'भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली, 1961' के अनुसार विधि कार्य विभाग को मंत्रालयों और सरकारी विभागों को विधिक सेवाएं प्रदान करने, सलाह देने का कार्य सौंपा गया है। यह उन सभी केंद्रीय अधिनियमों या राज्य विधानों के परीक्षक के रूप में भी कार्य करता है जो किसी भी केंद्रीय कानून के साथ संघर्ष में होते हैं। इसके अलावा यह केंद्र सरकार की ओर से मुकदमेबाजी को भी देखता है। इसी तरह, विधायी विभाग मुख्य रूप से निर्वाचन कानूनों सहित केंद्र सरकार के लिए सभी प्रमुख कानूनों का मसौदा तैयार करने का कार्य करता है। इसे व्यक्तिगत कानूनों, संविदाओं, साक्ष्य, आदि जैसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित कुछ मामलों से निपटने का कार्य भी सौंपा गया है। दोनों विभागों और उनके अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों को वरिष्ठ स्तर पर भारतीय विधिक सेवा से संबंधित विधिक विशेषज्ञों तथा जूनियर स्तर पर वे अधिकारी जिनके पास अपेक्षित विधिक योग्ता प्राप्त द्वारा संचालित किया जाता है।

2. आईएलएस अधिकारियों को विधि क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर यूपीएससी के माध्यम से भर्ती किया जाता है तथा विधि क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होने के कारण इन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि, एक इन-हाउस तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें सेवा के नए प्रवेशकों को विधिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रखा जाता है। इस सेवा के अधिकारियों को उनकी प्रारंभिक भर्ती के समय से तथा उनकी पूरी सेवा के दौरान कोई भी प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता। यह अधिकारियों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि उन्हें विभाग में अपनी पूरी सेवा में अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है।

3. आईएलएस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के अनुसार, माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन से एक **प्रशिक्षण अकादमी** की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित प्रशिक्षण अकादमी की रूपरेखा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (आईएएस के लिए), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (आईपीएस के लिए), अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (आईआरएस और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए) और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (न्यायिक अधिकारियों के लिए) सहित विभिन्न अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के अनुरूप हो सकती है।

<u>प्रशिक्षण अकादमी का उद्देश्य</u>

कानूनी मामलों का निपटान करने के लिए आईएलएस अधिकारियों और केंद्रीय और राज्य सरकार के अन्य कैडरों के अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं में उनके कौशल को बढ़ाना, अधिकारियों को नवीनतम न्यायिक और कानूनी प्रवृतियों के प्रति जागरूक करना और कानून के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ उन्हें परिचित रखना है।

जहां तक विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग का संबंध है यह अकादमी निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान कर सकती है –

<u>(i) प्रवेश/अभिविन्यास प्रशिक्षण (इंडक्शन/ओरिएंटेशन ट्रेनिंग)</u>

आईएलएस तथा अन्य संवर्ग संबंधित सभी नए प्रवेशक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी रैंक के आधार पर प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें उनके कार्यों को सौंपे जाने से पहले विभाग के कार्यों के साथ परिचित कराया जा सके और अपना पदभार ग्रहण करने पर विशिष्ट जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा सके।

<u>(ii) सेवा के दौरान प्रशिक्षण (मिड-कैरियर ट्रेनिंग)</u>

इसके पश्चात अपनी सेवा के दौरान उचित अंतराल पर अपने ज्ञान को संवर्धन करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, सेवा के दौरान इसे केवल निर्धारित बिंदुओं पर सीमित नहीं किया जा सकता किंतु पारंपरिक, दूरस्थ और ई-लर्निंग के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उपलब्ध होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रत्येक चरण का डिजाइन, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, संस्थागत साझेदारों और संकाय संसाधनों आदि का निर्णय अधिकारियों की जरूरतों का विश्लेषण करने और उनकी अगली स्तर की दक्षताओं का निर्माण करने के बाद निर्धारित किया जा सकता है। प्रशिक्षण 4 से 8 सप्ताह के बीच हो सकता है और इसमें घरेलू और विदेशी घटक हो सकते हैं। प्रशिक्षण घटक में कार्य के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल किया जा सकता है।

<u>(iii) अल्पकालिक विषयगत प्रशिक्षण</u>

यह प्रशिक्षण आईएलएस अधिकारियों और विधि के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य अधिकारियों को प्रदान किया जा सकता है ताकि संबंधित विषयों में उनकी व्यवसायिक क्षमताओं का निर्माण

किया जा सके व साथ ही उन्हें नेतृत्व कौशल विकास, तनाव प्रबंधन, नीतिशास्त्र और मूल्यों आदि पर पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान करके वांछनीय उनमें व्यक्तिगत विशेषताओं को अंतर्निविष्ट किया जा सके। यह प्रशिक्षण 1 से 2 सप्ताह तक की अवधि का हो सकता है। आईएलएस अधिकारियों और जूनियर रैंक के अधिकारियों दोनों के लिए प्रशिक्षण घटक, अर्थात्, अधीक्षक विधि, सहायक (विधि), आदि अलग-अलग होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधीक्षक (विधि) के रैंक तक सौंपा गया कार्य प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और उनसे सलाह के मामलों की जांच करने और अधिनियमों की समीक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हालांकि, एक बार जब वे आईएलएस संवर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी भूमिका पूरी तरह से अलग हो जाती है क्योंकि अब उन्हें उन अधिनियमों और नियमावली के संदर्भ में मामले की जांच करनी होती है जिसके लिए विशेषज्ञता और गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए, उन्हें कानूनी पहलुओं को जानने की आवश्यकता है, जिन्हें किसी विशेष मामले की जांच करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

(iv) अनुकूलित प्रशिक्षण

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कुछ विशेष कार्य होते हैं। इस तरह के कार्यों को देखने वाले कर्मचारियों को प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुकूलित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें विभाग के बेहतर निष्पादन के लिए तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम की अवधि विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी और यह प्रशिक्षण भारत या विदेश कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के प्रशिक्षण को आईएलएस अधिकारियों तक सीमित किया जा सकता है।

(v) दीर्घकालिक प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण आईएलएस अधिकारियों विशेष रूप से युवा लोगों को भारत में या विदेशों में उच्चतर योग्यताएं प्रदान करके उनके वर्तमान या भविष्य के कार्यों के लिए संबंधित क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल को अपग्रेड करना है ताकि वे वभाग के बेहतर निष्पादन में सहायक हों।

प्रशिक्षण समिति का गठन

प्रशिक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की निगरानी और उसका निर्देशन किया जाएगा जिसमें विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, भारत का विधि आयोग, भारतीय विधि संस्थान और संवैधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) के सदस्य शामिल होंगे।

<u>प्रशिक्षण संस्थानों/संगठन के साथ समझौता ज्ञापन</u>

प्रस्तावित प्रशिक्षण अकादमी का साझा करने योग्य तरीके द्वारा सर्वोत्तम संकाय और अवसंरचना हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन होगा। वर्तमान में, यह विभाग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों/संगठन के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है:

- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)
- दिल्ली न्यायिक अकादमी
- भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)
- सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम)